APP-A
Crim-I

FORM No. IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत........उपखण्ड अधिकारी,........ मुकाम ....मुलाना........

........हरियाणा........ बनाम ....राममेहर आदि........

किस्म मुकदमा........धारा 212 प्रशा........ नं. ....62/20........ सन्........

(2020/00158)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/25	SDO द्वारा कार्य स्थगित किया गया। अन्य कार्य में व्यस्त 17/09/25 पुर्व	
17/09/25	वकील वादी प्रार्थी वकुलाए फरीकैन उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय केम्प में पधारें पर है! अत: पत्रावली वास्ते पुर्वा दिनांक 17.11.25 को पेश हो। अपार्थी नं. 1 की ओर से जवाब पेश	
17.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पुर्वा पत्रावली दिनांक 17.12.25 को पेश हो।	
17.12.25	वकील वादी प्रार्थी वकुलाए फरीकैन उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय केम्प में पधारें पर है! अत: पत्रावली वास्ते पुर्वा दिनांक 12/01/26 को पेश हो।	
12-01-26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी तक बाई डीड्स एवं बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। अत: सहखातेदारान का प्रस्ताव रेन्ट पर कब्जा माना जाना वाजिब है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है तथा उनके हकों का निर्धारण बाद में फरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के हक में प्रतीत नहीं होता है। अतः फरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०